भारतरत्न बाबासाहब भीमराव अम्बेडकर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज प्रतापगढ़

Bharat Ratna Babasaheb Bhimrao Ambedkar Rajkiya Engineering College Pratapgarh

Pratapgarh - 230 127 (UP)

(A State Funded Institute of Government of Uttar Pradesh and Associated to AKTU)

पत्रांक: 444/रा०इ०का०प्रता०/2025 दिनांक: 27.09.2025

नोटिस

शैक्षणिक सत्र 2025–26 में नवप्रवेशित (1st Year & Lateral Entry) के समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति हेतु आवेदन के संबंध में आवश्यक दिशा–निर्देशः

अपात्र छात्रः निम्नलिखित स्थिति में छात्र छात्रवृत्ति फार्म भरने हेतु पात्र नहीं हैं।

1. छात्र/छात्रा के परिवार की सभी स्त्रोतों से वार्षिक आय 02 लाख (SC/ST हेतु 2.5 लाख) से अधिक होने पर।

2. हाईस्कूल UP Board, CBSE Board, ICSE Board, AMU Board, UP Sanskrit Board, National Institute of Open Schooling के अलावा किसी अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण किया हो।

3. उत्तर प्रदेश का मूल निवासी नहीं होने पर।

पात्र छात्रः छात्र–छात्राएं जिन पर उपरोक्त बिन्दु लागू नहीं होता है।

सभी नव प्रवेशित (1st Year & Lateral Entry) छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि शैक्षणिक सत्र 2025–26 में छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति हेतु आवेदन से पूर्व निम्न बातों पर ध्यान देः–

A. हाईस्कूल प्रमाणपत्र, आधारकार्ड एवं बैंक अकाउंट में छात्र का नाम, जन्म तिथि, छात्र के माता–पिता का नाम एवं लिंग आदि एक समान होना चाहिए। सावधानी पूर्वक मिलान कर लें। किसी भी Document के स्पेलिंग (Spelling) में भी अन्तर नहीं होना चाहिए। अगर कुछ अन्तर है तो आधार (Aadhar) अपडेट करा लें।

B. वैध जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए (अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 31 मार्च 2025 के बाद जारी)।

C. आय प्रमाण पत्र **पिता/माता अथवा अभिभावक** के नाम से निर्गत ही होना चाहिए। छात्र के नाम से निर्गत आय प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

D. आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र एवं निवास प्रमाण पत्र डिजीलॉकर या ई–डिस्ट्रिक्ट वेबसाइट से प्रमाणित होना चाहिए।

E. GEN/SC/ST हेतुः

- यदि कोई छात्र विगत वर्ष में नॉन प्रोफेशनल कोर्स (B.A./B.Sc./B. Com etc.) आदि में छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उपरान्त पाठ्यक्रम को अधूरा छोड़कर इस संस्थान में प्रवेश लेता है, तो वह प्रथम वर्ष में छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु पात्र (Eligible) होगा। छात्रवृत्ति फॉर्म भरने हेतु छात्र को पूर्व पाठ्यक्रम/संस्थान छोड़ने का प्रमाण पत्र (प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत) जमा करना होगा।

- यदि कोई छात्र विगत वर्ष में प्रोफेशनल कोर्स (Polytechnic etc.) आदि में छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उपरान्त पाठ्यक्रम को अधूरा छोड़कर इस संस्थान में प्रवेश लेता है, तो वह प्रथम वर्ष में छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अपात्र (Ineligible) होगा। छात्र के अभिभावक द्वारा शपथ पत्र से औचित्य प्रमाणित होने तथा नये पाठ्यक्रम मे अध्ययन जारी रखने पर नये पाठ्यक्रम के दूसरे वर्ष से नवीन छात्र के रूप में छात्रवृत्ति हेतु पात्र होगा।

F. **OBC हेतुः**

- यदि कोई छात्र विगत वर्ष में किसी पाठ्यक्रम में छात्रवृत्ति प्राप्त करने के उपरान्त पाठ्यक्रम को अधूरा छोड़कर इस संस्थान में प्रवेश लेता है, तो वह प्रथम वर्ष में छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अपात्र (Ineligible)होगा। छात्र के अभिभावक द्वारा शपथ पत्र से औचित्य प्रमाणित होने तथा नये पाठ्यक्रम मे अध्ययन जारी रखने पर नये पाठ्यक्रम के **दूसरे वर्ष** से नवीन छात्र के रूप में छात्रवृत्ति हेतु पात्र होगा। छात्रवृत्ति फॉर्म भरने हेतु छात्र को पूर्व पाठ्यक्रम/संस्थान छोड़ने का प्रमाण पत्र (प्रधानाचार्य द्वारा निर्गत) जमा करना होगा।

G. छात्रवृत्ति फार्म में भरा जाने वाला बैंक अकाउंट छात्र के नाम से होना चाहिए, छात्र के माता–पिता या अन्य का खाता संख्या **मान्य नहीं** है।

H. बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत (Nationalized) बैंक में ही होना चाहिए। अन्य बैंक खाते बंद करवा दें।

I. खाते का आधार सीडिंग (AADHAR Linking) की वर्तमान स्थिति समाज कल्याण की वेबसाइट से अवश्य चेक कर लें। आधार सीडिंग न होने की स्थिति में बैंक से सम्पर्क करें।

J. **बैंक मैनेजर से मिलकर सुनिश्चित कर लें किः–**

- डेबिट/क्रेडिट **लिमिट (Debit/Credit Limit) 01 लाख से कम** नहीं होना चाहिए।
- खाते का बैंक द्वारा नेशनल पेमेण्ट कारपोरेशन ऑफ इण्डिया (NPCI) में मैपिंग भी अनिवार्य है।
- अपने बैंक खाते में प्रत्येक 03 महीने में लेन–देन अवश्य करते रहे जिससे खाता Active रहे।

उपरोक्त अनिवार्य कार्य बैंक से होना है। अन्यथा (Transaction Fail) हो जायेगा एवं छात्रवृत्ति बैंक खाते में नही आयेगी।

नोडल आफिसर/प्रभारी छात्रवृति
राजकीय इंजीनियरिंग कालेज
प्रतापगढ़।

(प्रशांत पाठक)
प्रभारी/नोडल अधिकारी
छात्रवृत्ति एवं शुल्कप्रतिपूर्ति

प्रतिलिपिः–

1. निदेशक, बी0आर0बी0बी0ए0रा0इं0का0 प्रतापगढ़।
2. वित्त एवं लेखाधिकारी, बी0आर0बी0बी0ए0रा0इं0का0 प्रतापगढ़।
3. नोटिस बोर्ड।